

## न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा  
आई.ए.एस.

मिसल संख्या  
मैनुअल नं. 95/प्रा.पत्र/2024  
( GCMS No. 2024 / 147 )

तारीख दायरा  
18.09.2024

तारीख निर्णय  
23.12.2024



राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

प्यारा आ. नन्दा जाति मेघवाल,  
निवासी ग्राम डोरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956  
उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।  
अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी प्यारा आ. नन्दा को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 174/686 एवं 573/729 कुल रकबा 1.6268 हैक्टेयर वाकेग्राम डोरा आवंटन आदेश दिनांक 26.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 95/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/147 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार प्यारा आ. नन्दा जाति मेघवाल की मृत्यु हो चुकी है एवं मौतबिरानों के अनुसार उसके वारिसान की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से उक्त व्यक्ति का फौती नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही नहीं हो पायी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के वारिसान की सुनवाई किया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

जिला कलक्टर, बून्दी

तत्पश्चात बहस परोकार सरकार सुनी गयी।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये गये कि मुताबिक रिपोर्ट इल्का पटवारी आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा कारत नहीं है। उसके वरिसान के बारे में ग्रामवासियान को भी पता नहीं है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि प्यारा आ. नन्दा कौम मेघवाल निवासी ग्राम डोरा को दिनांक 26.11.1975 को भूमि खसरा सं. 147 रकबा 4 बीघा 01 बिरवा एवं एवं खसरा सं. 573 रकबा 6 बीघा वाकेग्राम डोरा का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम डोरा की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 174/686 रकबा 0.6556 हैक्टयर एवं खसरा सं. 573/729 रकबा 0.9712 हैक्टयर पर अप्रार्थी प्यारा पुत्र नन्दा जाति मेघवाल गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थना पत्र के संलग्न इल्का पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार प्यारा पुत्र नन्दा मेघवाल की मृत्यु हो चुकी है एवं मौतबिरानों के अनुसार उसके वारिसान की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से उक्त व्यक्ति का फोती नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही नहीं हो पायी है। वारिसान की जानकारी नहीं होने के कारण इस प्रकरण में भी मृतक अप्रार्थी के कायम मुकाम बनाये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14( 3 ) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष कारत करना आवश्यक है। जबकि इस प्रकरण में आवंटी या उसके वारिस का आवंटित भूमि पर कब्जा कारत नहीं होना, आवंटी का आवंटित भूमि पर 48 वर्षो तक गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड रहना तथा आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान की जानकारी के अभाव में राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि मृतक व्यक्ति के नाम ही दर्ज रेकार्ड होना आदि तथ्यो से आवंटन की शर्तो का उल्लंघन होना प्रमाणित है। ऐसे में उक्त आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।



उपरोक्त विवेचन के आधार एवं विधिक प्रावधानों की अनुपालना में उक्त भूमि के आवंटन को अरिस्तत्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी प्यारा आ. नन्दा कौम मेघवाल निवासी ग्राम जेरा को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 573 रकबा 6 बीघा एवं खसरा संख्या 147 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा (हाल खसरा सं. 174 / 686 रकबा 0.6556 हैक्टयर एवं खसरा सं. 573 / 729 रकबा 0.9712 हैक्टयर) वाकेश्राम जेरा दिनांक 26.11.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेजा को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उनके विरुद्ध अतिक्रमी की हैसियत से बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय मोदी)  
बिना कलक्टर बन्दी  
जिला कलेक्टर

